

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

जेलाराम बनाम धापा आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 196 / 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|-------------|---|---|
| 31.07.2024 | <p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी स0 1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 109/87 की कुल 16.1360 हैक्ट भूमि के विशेष हिस्से का बेचान न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला, रोडा एक्ट के प्रकरण व वाफ्कोस कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। वकील सायल गैरसायलान की तलबी/सायल आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र ऐतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड/ सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.08.2024 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">al</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नोहर</p> <p>पत्रावली पेश हुई थी मिकजी पी.ओ. कलकत्ता .. अनुमति प्राप्त है</p> <p>पत्रावली दि. 24/10/24 को पेश हो गई</p> <p>वकील वाही (0115) एक्ट उपस्थित आमत विपक्ष किमा वी वद अपना प्रथम पत्र परी चलावा चाहे खारिज करमात सामत एक्ट व दरा वरी चलावा व वारण खारिज विषय जाण है पत्रावली दार एक्टर ही</p> | |

28/10/24

24/10/24

उपखण्ड अधिकारी नोहर

पत्रावली चलावा वरी चलावा चाहे

जेलाराम पत्रावली